राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1469 जयपुर,दि0 30-11-2017

जिला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान ।

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने बाबत ।

प्रसंगः– विभागीय पत्र क्र0एफ.4(78) सिवायचक/ नियमन/विधि/ पंरा/2017/1184 दिनांक 03.10.2017 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में जारी प्रासंगिक पत्र को अतिक्रमित करते हुए इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी दोनों के द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र प.9(6)राज–6/2000/10 दिनांक 07.9.2017 में वर्णित (विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी/सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि एवं मास्टर प्लान में आये हुए ग्रामों अथवा मास्टर प्लान से प्रभावित ग्रामों को छोड़ कर, यहां तक कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि को भी छोड़ कर) भूमि पर बसे मकानों का जहां रहवासी दिनांक 01.1.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं, का संयुक्त सर्वे किया जायेगा । सर्वे के अनुसार सूची तैयार करेंगे तथा सूची के साथ उस व्यक्ति के दिनांक 01.1.2017 से पूर्व 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज जिस पर मकान का पता वर्णित हो, संलग्न करेंगे । उपरोक्तानुसार सर्वे उपरांत तैयार की गई सूची ग्रामसेवक एवं पटवारी दोनों के हस्ताक्षर कर, सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत की जायेगी ।

2. सर्वे के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि जहां ग्राम की वर्तमान आबादी भूमि से जुड़ी हुई सिवायचक भूमि पर मकान बने हों, उन्हें सेटअपार्ट हेतु सर्वे में सम्मिलित किया जाये । इससे अन्यत्र ऐसी सिवायचक भूमि जहां पर मकान बिखरे/छितरे हुए हों ऐसी सिवायचक भूमि पर कम से कम पांच मकान बने होने पर ही उन्हें सर्वे

मे सम्मिलित किया जाये, इससे कम मकान होने की स्थिति में [illegible] में सम्मिलित नही किया जाये। यह कार्यवाही 15 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाये ।

3. तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त सूची पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के बिन्दु सं01 सूची में खसरा नम्बर एवं अतिक्रमित कर निर्मित आवासगृहों का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शें की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये हों सहित सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवाये जायेंगे ।

4. उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सक्षम स्तर से सेटअपार्ट करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें ।

5. सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा उपरोक्तानुसार सेटअपार्ट की गई भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी की प्रति सहित विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी ।

6. विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–165 की पालना करवाते हुए, सम्बन्धित रहवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में अतिक्रमणों का विनियमन कर आवंटन करने का प्रावधान इस प्रकार से है:–

> **165. पंचायत भूमि पर के अतिचारियों का सर्वेक्षण और अतिक्रमणों का हटाया जाना (4) यदि पंचायत की यह राय हो कि यदि ऐसे अतिचार का विनियम कर दिये जाने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का अतिक्रमण नहीं होगा तो वह अतिचारी भूमि को बाजार कीमत पर आंवटित करने का विनिश्चय कर सकेगी।**

7. ग्राम पंचायत द्वारा उक्तानुसार नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वह एक परिवार को अधिकतम 300 वर्गगज या वास्तविक क्षेत्रफल, इसमें से जो भी कम हो, का ही पट्टा जारी करें ।

8 ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किया जाने वाला पट्टा अहस्तान्तरणीय (Non-transferable) होगा ।

9 ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार को पट्टा नही दिया जायेगा यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान/आवासीय भूखण्ड हो ।

समस्त जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार सर्वे का काम तथा तहसीलदार के पास सर्वे आधारित सूचियां 15 दिवस की अवधि में तथा तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही किया जाना सम्बन्धित कार्य आगामी एक सप्ताह मे करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(खेमराज)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
राजस्व विभाग

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रा० वि० एवं पं० राज

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं० राज, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, राजस्व विभाग ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं० राज, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रा०वि० एंव पं० राज ।
6. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, राजस्व विभाग ।

30/11/2017
उप शासन सचिव(विधि)